

प्रेषक,

एसओएसओ टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
इरला चैक,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

देहरादून दिनांक: 04 अगस्त, 2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, आई0टी0डी0ए0 के पत्र संख्या-323/ITDA-02/2017-18 दिनांक 20.06.2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 60-अन्य, 600-अन्य सेवायें, 02-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता मद में प्रावधानित धनराशि ₹ 10000.00 हजार (रूपए एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष शासनादेश सं0 146/XXXVI/2017-15/2011, दिनांक 09 जून, 2017 द्वारा ₹ 1167.00 हजार (रूपए ग्यारह लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है। उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से निदेशक आई.टी.डी.ए. के अनुरोध के क्रम में प्रश्नगत मद में अवशेष धनराशि ₹ 8833.00 हजार (रूपए अठ्ठासी लाख तैंतीस हजार मात्र) आवंटन आई0डी0- H 1708230460, दिनांक 04 अगस्त, 2017 द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वहन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, आई0टी0डी0ए0 को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा निदेशक, आई0टी0डी0ए0 द्वारा आहरित धनराशि का व्यय मासिक आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. बजट आबंटन धनराशि व्यय किए जाने का अधिकार नहीं है। व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड-एक (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) में दी गई व्यवस्थानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाएगी।
3. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. धनराशि व्यय करते समय उत्तराखण्ड में लागू उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (संशोधन) नियमावली-2015 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों के अधीन समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण की जायेंगी।
5. धनराशि व्यय करते समय वित्तीय नियमों, बजट मैनुअल के प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग/विचलन कदापि न किया जाय।
7. आवंटित धनराशि के विपरीत कार्य/मदवार वित्तीय व भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराते हुये जारी की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31.03.2018 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि अवमुक्त की गई धनराशि व्यय न हो पाने के कारण अवशेष रहती है तो उस स्थिति में अवशेष धनराशि का समर्पण शासन को किया जायेगा।

संलग्नक- आवंटन आई0डी0


भवदीय,

(एसओएसओ टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या:- 365/ XXXIV / 2017-15 / 2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड देहरादून
2. निदेशक, आई0टी0डी0ए0 देहरादून ।
3. केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, उत्तराखण्ड (साइबर ट्रैजरी) 23, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. सचिवालय प्रशासन लेखा, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- ✓ 6. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2।
8. गार्ड फाईल।


(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, IT (9017)

आवंटन पत्र संख्या - 263/XXXIV/2017-15/2011

अलोटमेंट आई डी - H1708230460

अनुदान संख्या - 023

आवंटन पत्र दिनांक - 04-Aug-2017

DDO Name - Deputy Secretary Accounts Dehradun (4651) , Treasury - Cyber (1200)


- 1: लेखा शीर्षक 3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 60 - अन्य
600 - अन्य सेवायें
02 - राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण (3425-60-800-03 से स्थानान्तरित)
00 - 0

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	1167000	8833000	10000000
43 - वेतन भत्ते आदि के लिये सहाय	2667000	0	2667000
	3834000	8833000	12667000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

8833000


(एस.एस.ओ. टोलिया)
संयुक्ता सचिव,
सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी,
उत्तराखण्ड

